संलग्नक-1

संख्याः- 3487/2014-15

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ, दिनांकः 03 दिसम्बर, 2014

विषयः स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय अभियान के अन्तर्गत शौचालय विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में।

महोदय,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शौचालय विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु 'स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय' अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्थाओं को U-DISE 2013–14 में दर्ज़ शौचालय विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और अक्रियाशील शौचालय निर्माण एवं मरम्मत हेतु आवंटित किये गये हैं।

तत्क्रम में उक्त सार्वजनिक उपक्रमों एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा आवंटित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण व रख–रखाव तथा अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है किः–

1. U-DISE 2013–14 की सूची से आवंटित शौचालय विहीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण व रख–रखाव तथा अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव **(संलग्नक–1)** की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तत्काल सार्वजनिक उपक्रमों एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्थाओं **(संलग्नक–2) से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें तथा दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 तक निर्माण/मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करायें।**
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्था को कोई ऐसा विद्यालय आवंटित हो गया है, जिसमें पहले से शौचालय बना है और क्रियाशील भी है तो U-DISE 2013–14 में दर्ज़ अन्य शौचालय विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा अक्रियाशील शौचालय निर्माण एवं मरम्मत हेतु सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्था को आवंटित कर दिया जाये।

3. आवंटित विद्यालय तथा उसकी साईट के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्था द्वारा मांगी जा रही समस्त सूचनाएं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।
4. आवंटित विद्यालय का साईट सर्वे करने में सहयोग प्रदान करने के लिये खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय के लिखित निर्देश उपलब्ध कराये जाये कि उक्त अधिकारी सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्था के सदस्य को साईट सर्वे करने एवं ले–आउट कराने में समस्त वाँछित सहयोग प्रदान करें।
5. यदि शौचालय विहीन अथवा अक्रियाशील शौचालय युक्त विद्यालय किराये के भवन में है तो भवन स्वामी से उक्त भवन के परिसर में शौचालय के निर्माण अथवा मरम्मत की अनुमति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी जायेगी।
6. जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त कार्य के लिये नोडल अधिकारी होंगे। उनके द्वारा सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्था को शौचालय विहीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण व रख–रखाव तथा अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु आवश्यक सूचनायें एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
7. उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा समयबद्धता का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा तथा प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को प्रगति आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पृ0सं0: नि0का0/एसएसए/लो0स0वि0/ /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्थान।

सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

पत्रांकः नि0का0/एसएसए /3798/2014–15 लखनऊ, दिनांकः 6 जनवरी, 2015

विषयः *नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत शौचालय विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में।*

महोदया,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार ने शौचालय विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु 'स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत' अभियान प्रारम्भ किया है।

उक्त संबंध में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में किराये के भवनों में संचालित विद्यालयों में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अक्रियाशील शौचालयों को पंचायती राज विभाग के सहयोग से स्वच्छ एवं क्रियाशील रखने के लिये कार्यवाही गतिमान है। इस संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत निर्देशों की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,

5.1.2015

(कुमुदलता श्रीवास्तव)
राज्य परियोजना निदेशक

दूरभाषः 2780995 फैक्सः 0522-2781123, 2780998 ई–मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब–साइटः www.upefa.com

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— मण्डलायुक्त
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2— जिलाधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/3756/2014–15 लखनऊ, दिनांकः ~~दिसम्बर, 2014~~ 02/01/2015

विषयः नगर क्षेत्र के अन्तर्गत शौचालय विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शौचालय विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु 'स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत' अभियान प्रारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्थाओं को U-DISE 2013–14 में दर्ज़ शौचालय विहीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और अक्रियाशील शौचालय निर्माण एवं मरम्मत हेतु आवंटित किये गये हैं।

उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराने हेतु शासन के पत्र संख्या–3437/2014–15 दिनॉक 03 दिसम्बर, 2014 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों एवं कार्पोरेट सेक्टर की संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा आवंटित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण व रख–रखाव तथा अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव की अनुमति प्रदान की गयी है **(संलग्नक–1)**।

उक्त के संबंध में जनपदों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि किराये के भवन में संचालित विद्यालयों में शौचालय का निर्माण/मरम्मत कराने में कठिनाई आ रही है तथा भवन स्वामी द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि किराये के भवन में संचालित विद्यालयों में शौचालय का निर्माण/मरम्मत की स्थिति की समीक्षा की जाये तथा प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालयों में शौचालय का निर्माण/मरम्मत कराने हेतु भवन स्वामी की अनुमति कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पृ0सं0: नि0का0/एसएसए/3756/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Fax

Rml. Att. to A.S.P.D. (Sri Vivek Varsh.)

संख्या:2856 / 33–3–2014–154 / 2014

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2014

विषयः ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण एवं रखरखाव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च, 2006 तक निर्मित शौचालय विहीन विद्यालयों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत पंचायतीराज विभाग द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया है तथा उसके पश्चात निर्मित शौचालय विहीन विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया है। समस्त विद्यालयों में बालक व बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय यूनिट का निर्माण कराया गया है। यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की स्थिति मरम्मत के अभाव में खराब होती जा रही है और उनके उपयोग करने में कठिनाई आ रही है या उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों को क्रियाशील बनाये रखने के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं–

व.वि. (BS)

कृ. अ०.प्र० व वार्ता मी

19/11

(1)–समस्या के निदान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों को 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग जहां कहीं आवश्यकता हो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों की मरम्मत हेतु भी किया जायेगा। शौचालयों की मरम्मत / जीर्णोद्धार की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान को सूचित करेगा और मरम्मत इत्यादि के समय गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी इस पर दृष्टि रखी जायेगी तथा कोई भी कमी पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों को स–समय सूचित किया जायेगा।

(2)–पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मियों की तैनाती की गयी है। इन कर्मियों के जाब–चार्ट के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या: 1672 / 33–1– 2009 दिनांक 09 जून, 2009 में स्कूल शौचालयों के सफाई का दायित्व संबंधित सफाई कर्मियों को सौपा गया है। अतः सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालयों की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत / जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। सफाई कर्मी द्वारा अपने उक्त दायित्व का निर्वहन न करने पर संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया जायेगा, जो सफाई कर्मी

के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को अवगत करायेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक निश्चित समय पर शौचालय में लगा ताला खोल दिया जाय ताकि सफाई कर्मी उस समय शौचालय की सफाई का कार्य कर सके।

(3)–परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के प्रयोग तथा स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग एवं रखरखाव के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहें हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैं–

(i)–शौचालयों के प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित किया जाय की शौचालय में मग तथा पानी की समुचित सुविधा उपलब्ध हो। शौचालय में पंचायतीराज विभाग/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लगाये गये ओवर हेड टैंक के माध्यम से जल की व्यवस्था हो तथा जिन विद्यालयों में ओवर हेड टैंक उपलब्ध न हो वहां शौचालयों में केन/बाल्टी में पानी रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii)–शौचालयों की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री, यथा–फिनायल, चूना आदि विद्यालय विकास अनुदान से क्रय की जायेगी। साथ ही शौच के बाद हाथ धोने हेतु साबुन आदि की व्यवस्था भी विद्यालय विकास अनुदान से की जायेगी।

(iii)–विद्यालय के शौचालयों की सफाई एवं उन्हें क्रियाशील बनाये रखने का दायित्व विद्यालय के शिक्षक का होगा, जिसे शिक्षक संबंधित ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी के सहयोग से मिलकर करेंगे।

(iv)–प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक को स्वच्छता की गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल बनाया जाय। शिक्षक का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि समस्त छात्र–छात्रायें शौचालय का प्रयोग करें व खुले में शौच न जायें। विद्यालयों में पढ़ाई होने के दिनों में पूरे समय शौचालय विद्यार्थियों के प्रयोगार्थ खुला रहेगा तथा उसमें ताला नहीं बन्द किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्गत उक्त निर्देश यथावत रहेंगे।

(4)–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मरम्मत एवं रख–रखाव अनुदान की धनराशि का उपयोग विद्यालय के शौचालय की मरम्मत हेतु नहीं किया जायेगा, किन्तु केवल विशेष परिस्थिति में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों/मानकों के अनुसार इस अनुदान की धनराशि का उपयोग विद्यालय शौचालय की मरम्मत हेतु किया जा सकता है।

(5)–जिला पंचायत राज अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रगति का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

(6)–वर्तमान में मरम्मत योग्य शौचालयों की मरम्मत का कार्य दो माह में अभियान चलाकर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव,पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जायेगी।

(7) उप जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करने के समय शौचालयों का क्रियाशील होना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव,

संख्याः 2856/33–3–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4–प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5–प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6–निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
7–निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
8–आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9–परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
10–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
11–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
12–समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
13–समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14–राज्य प्रतिनिधि यूनीसेफ, लखनऊ, उ0प्र0।
15–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
16–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव,